क्रम-संख्या—440

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 सितम्बर, 1980

आश्विन 4, 1902 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2692/सत्रह-वि0-1-60/1980

लखनऊ, 26 सितम्बर, 1980

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 26 सितम्बर, 1980 ई0 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1980) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1980)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) धारा 2, 3, 4, 6, 7 और 8 पहली जनवरी, 1979 को प्रवृत्त समझी जायेंगी, धारा 5 छब्बीस सितम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1-ख) में, खंड (ख) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

धारा 28 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षण या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा विनियमित होगा जिसे राज्य सरकार, जहां आवश्यक हो पूर्ववर्ती प्रभाव से (1 जनवरी, 1979 से पूर्व प्रभावी न होगा) अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा ।"

धारा 50 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(एक) उपधारा (1-क) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (2) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

धारा 60-क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 60-क में, खण्ड (1) में, शब्द "स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "नगरमहापालिका" रख दिया जायगा ।

धारा 72 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में, परन्तुक में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

धारा 72-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 72-क में, खण्ड (ग) में अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

धारा 73 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में परन्तुक में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 की धारा 28 का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1977" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

अपवाद

10—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा 21 जुलाई, 1980 (जिसे आगे इस खण्ड में उक्त दिनांक कहा गया है) के पश्चात् किन्तु 31 जुलाई, 1980 के पूर्व किसी समय, उक्त अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कर्तव्यों के पालन या तात्पर्यित पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश ऐसे विधिमान्य और प्रवर्तनीय होगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे, और ऐसे कार्य, कार्यवाही या आदेश

के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उक्त दिनांक के बाद ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या सरकार को ऐसा कार्य या कार्यवाही करने या ऐसा आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी ;

(ख) मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-ख) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और गठित प्राधिकारियों के सदस्यों को जो 21 अप्रैल, 1980 को अपना-अपना पद धारण करते रहे हों, 31 दिसम्बर, 1981 तक या उस समय तक जब तक कि उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारी सम्यक् रूप से नियुक्त न कर दिये जाय और प्राधिकारी सम्यक् रूप से गठित न हो जायं, इसमें जो भी पहले हों, पूर्ववत् ऐसे पदों को धारण करता समझा जायगा ।

(ग) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 के अधीन बनाए गए प्रथम परिनियमों के परिनियम 173–ए के अनुसार, 12 जून, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 22 अगस्त, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि में की गई प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति जो 22 अगस्त, 1980 को अस्तित्व में थी, विधिमान्य समझी जायगी और सदा से विधिमान्य रही समझी जायगी, और उस प्रयोजन के लिये, उक्त परिनियम 173–ए को उक्त अवधि में प्रवृत्त समझा जायगा ; और जहां ऐसे अध्यापक द्वारा धृत अस्थायी पद को 22 अगस्त, 1980 के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट, स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो वहां ऐसा अध्यापक उस स्थायी पद पर ऐसे परिवर्तन के दिनांक से उक्त खण्ड (ख) के अनुसार अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति माना जायगा और ऐसे परिवर्तन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के दिनांक से उस पद पर स्थायी किया गया माना जायगा ।

निरसन और अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 2692(2)/XVII—V—1—60/1980

Dated Lucknow, September 26, 1980

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980(Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 26, 1980.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1980

(U. P. ACT 15 OF 1980)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 and the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1980.

(2) Sections 2, 3, 4, 6, 7 and 8 shall be deemed to have come into force on January 1, 1979, section 5 shall be deemed to have come into force on September 26, 1979 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 4 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P Act no. 29 of 1974

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-B), in clause (*b*), *for* the word and figures "December 31, 1978", the word and figures "December 31, 1981" shall be *substituted*.

Amendment of section 28.

3. In section 28 of the principal Act, *for* sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, admission to medical and engineering colleges and to courses of instruction for degrees in education or Ayurvedic and Unani Systems of medicine (including the number of students to be admitted), shall be regulated by such orders (which if necessary may be with retrospective effect, but not effective prior to January 1, 1979) as the State Government may, by notification, make in that behalf :

Provided that no order regulating admissions under this sub-section shall be inconsistent with the rights of minorities in the matter of establishing and administering educational institutions of their choice."

Amendment of section 50.

4. In section 50 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1-A), *for* the word and figures "December 31, 1978", the word and figures "December 31, 1981", shall be *substituted*;

(ii) in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 1978", the word and figures "December 31, 1981", shall be *substituted*.

Amendment of section 60-A.

5. In section 60-A of the principal Act, in clause (1), *for* the words "local authority" the words "Nagar Mahapalika" shall be *substituted*.

Amendment of section 72.

6. In section 72 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, *for* the word and figures "December 31, 1978", the word and figures "December 31, 1981", shall be *substituted*.

Amendment of section 72-A.

7. In section 72-A of the principal Act, in clause (*c*), *for* the word and figures "December 31, 1978", the word and figures "December 31, 1981", shall be *substituted*.

Amendment of section 73.

8. In section 73 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, *for* the word and figures "December 31, 1978", the word and figures "December 31, 1981", shall be *substituted*.

Amendment of section 28 of U. P. Act no. 29 of 1974.

9. In section 28 of the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, in sub-section (1), in the proviso, *for* the word and figures "December 31, 1977", the word and figures "December 31, 1981", shall be *substituted*.

Savings.

10. Notwithstanding anything contained in the principal Act,—

(*a*) anything done or any action taken or any order made by any officer or authority of the University or by the State Government in the exercise or purported exercise of their powers or in the discharge or purported discharge of their duties under the said Act at any time after July 21, 1980 (hereinafter in this clause referred to as the said date) but before July 31, 1980 shall be as valid and operative as if the provisions of this Act were in force at all material times, and such thing, action or order shall not be questioned in any court, tribunal or authority merely on the ground that such officer, authority or Government had no jurisdiction to do such thing or to take such action or to make such order after the said date;

(*b*) the officers appointed and the members of authorities constituted under clause (*a*) of sub-section (1-B) of section 4 of the principal Act and holding their respective offices on April 21, 1980 shall be deemed to continue to hold such offices up to December 31, 1981, or until the officers are duly appointed and authorities are duly constituted in accordance with clause (*c*) of the said sub-section whichever be earlier;

(c) the appointment of every teacher made during the period commencing from June 12, 1973 and ending on August 22, 1980 in accordance with Statute 173-A of the First Statutes made under the Lucknow University Act, 1920, and subsisting on August 22, 1980 shall be and be deemed always to have been valid, and for that purpose, the provisions of the said Statute 173-A shall be deemed to be in force during the said period ; and where the temporary post held by such teacher has, before August 22, 1980, been converted into a permanent post as referred to in clause (b) of sub-section (3) of section 31, such teacher shall be deemed to have been approved in substantive capacity to such permanent post in accordance with the said clause (b) with effect from the date of such conversion and shall be deemed to have been confirmed on the said post with effect from the date of expiration of the period of one year from the date of such conversion.

U. P. Ordinance no. 11 of 1980 and 13 of 1980.

Repeal and savings.

11. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Ordinance, 1980 and the Uttar Pradesh State Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 1980 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० सा० विधा०—26-9-80—( )—1980—750 (मैके०)।